

मीरजापुर पुलिस

प्रेस नोट

दिनांक: 18.11.2023

₹ 50 हजार का ईनामिया पशु तस्कर पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार , कब्जे से अवैध तमंचा मय कारतूस व मोटर साइकिल बरामद —

आज दिनांक: 18.11.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन व क्षेत्राधिकारी आपरेशन के नेतृत्व में थाना राजगढ़ पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा थाना राजगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0-98/2023 धारा 3/5ए/8 गो-वध , 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम का वांछित व ₹ 50 हजार के ईनामियां अभियुक्त अजीत पासवान पुत्र सत्यनारायण पासवान निवासी अछोर लसड़ा थाना राबर्टसगंज जनपद सोनभद्र को थाना राजगढ़ क्षेत्र से पुलिस मुठभेड़ में अभियुक्त के पैर में गोली लगी। घायल अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए पुलिस अभिरक्षा में जिला चिकित्सालय मीरजापुर पर इलाज चल रहा है। गिरफ्तार अभियुक्त अजीत पासवान उपरोक्त द्वारा घटना में प्रयुक्त एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद खोखा कारतूस , 01 अदद मिस कारतूस व 01 अदद जिन्दा कारतूस एवं मोटर साइकिल बरामद किया गया। उक्त पुलिस मुठभेड़ व गिरफ्तारी/बरामदगी के सम्बन्ध में थाना राजगढ़ पर मु0अ0सं0-157/2023 धारा 307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त —

अजीत पासवान पुत्र सत्यनारायण पासवान निवासी अछोर लसड़ा थाना राबर्टसगंज जनपद सोनभद्र।

विवरण बरामदगी —

01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद खोखा कारतूस , 01 अदद मिस कारतूस व 01 अदद जिन्दा कारतूस व मोटर साइकिल।

01 अदद मोबाइल फोन व 3160 रूपये नगद बरामद।

आपराधिक इतिहास —

1. मु0अ0सं0 98/23 धारा 3/5ए/8 गोबध निवारण अधि0 व 11पशु क्रूरता अधि0थाना राजगढ़ मीरजापुर।
2. मु0अ0सं0 149/23 धारा 3/5ए/8 गोबध निवारण अधि0 व 11पशु क्रूरता अधि0थाना राजगढ़मीरजापुर।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

प्रभारी निरीक्षक थाना राजगढ़- राणा प्रताप सिंह यादव मय पुलिस टीम।

प्रभारी निरीक्षक एसओजी माधव सिंह मय पुलिस टीम।

